100

संख्या 6683 / III (2)/11–529 (सी0आर0एफ0)/05

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून दिनांक 09 दिसम्बर, 2011

विषयः– जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में लक्ष्मणझूला–गरूड़चट्टी में गंगा नदी पर दो लेन सेतु के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्र संख्या–4290/08 सी0आर0एफ0–पर्व0/2011दिनांक 3.6.2011, विभागीय व्यय वित समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 एवं आपके पत्र सं0–कैम्प–1(देहरादून) दिनांक 27.11.2011 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0–588/III–2/09–529 (सी0आर0एफ0)/2001 टी0सी0–1 दिनांक 27 मार्च,2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0) लोक निर्माण विभाग,पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनः पुनरीक्षित आगणन धनराशि ₹ 1678.36 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गयी धनराशि ₹ 1673.92 लाख (₹ सोलह करोड़ तिहत्तर लाख ब्यानवे हजार मात्र) की लागत के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2– उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि शासनादेश सं0–588/III–2/09–529 (सी0आर0एफ0)/2001 टी0सी0–1 दिनांक 27 मार्च,2009 के द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रदान की गई स्वीकृति **₹ 1556.08 लाख को घटाते हुए अवशेष कार्यों को ₹ 117.84 लाख (₹ एक करोड़ सत्रह लाख चौरासी हजार मात्र)** की अतिरिक्त पुनरीक्षित वृद्वि में पूर्ण करा लिया जायेगा तथा अब इसके लिए कोई भी अतिरिक्त वृद्वि किन्ही कारणों से देय नही होगी। उक्त शासनादेश उक्त अनुमन्य सीमा तक संशोधित समझा जाय। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि आबंटन के बाद व्यय कर दी गई हो तो उस धनराशि को समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी ।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उपरान्त प्रयुक्त की गयी कुल धनराशि का वर्षान्त भर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

4– उक्त धनराशि का व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर,कुटेशन विषयक नियमों का या सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनके व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्यक प्राप्त कर ली जाय।

6– कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता का समस्त दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

क्रमश 2 :

8– उक्त कार्य करते समय राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशो का अनुपालन भी किया जायेगा व्यय अनुमोदित दरों पर ही किया जायेगा, कार्य निर्धारित समय में किया जायेगा और विलम्ब के कारण लागत में वृद्वि के लिए अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे, धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मदं पर किया जायेगा और इसका व्यावर्तन किसी अन्य योजना/मद पर नहीं किया जायेगा।

10– उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट नियमावली, 2008 में उल्लिखित अनुदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– उक्त योजना पर व्यय राज्य सेक्टर के अन्तर्गत अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक– 5054सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–04 जिला तथा अन्य सडकें–800 अन्य व्यय–0301–चालू निर्माण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य की मद में आपके निर्वतन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार आपके स्तर से ही किया जायेगा ।

12– यह आदेश लोक निर्माण विभाग की पत्रावली सं0–52 (प्रा0आ0)/06 में प्राप्त वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव ।

संख्या– 6683/III (2)/11–529 (सी0आर0एफ0)/01 टी0सी0–2 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,पौड़ी ।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी ।
4. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून/पौड़ी ।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी ।
6– अधीक्षण अभियन्ता,12 वां वृत्त,लो0नि0वि0,पौड़ी।
7. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा ।
8. वित्त अनुभाग–2 /वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग
9. निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सचिवालय परिसर,देहरादून ।
10. लोक निर्माण अनुभाग 1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव ।